

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

(A)

(B)

(C)

(D)

(जुलाई, 2010 सत्र)

(19 जुलाई, 2010 से 30 जुलाई, 2010 तक)

प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अन्तिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

वर्ग-1

वित्त	वित्त मंत्री		
योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	— " —		
20 सूत्रीय कार्यान्वयन	— " —		
वाणिज्यिक कर	— " —		
सामाजिक न्याय	सामाजिक न्याय मंत्री	19 जुलाई, 2010	— 12 जुलाई, 2010
पंचायत और ग्रामीण विकास	— " —	26 जुलाई, 2010	— 19 जुलाई, 2010
परिवहन	परिवहन मंत्री		
जेल	— " —		
श्रम	श्रम मंत्री		
गृह	गृह मंत्री		

प्रशासनिक कार्य मासिक प्रतिवेदन

(1)

(2)

(3)

(4)

(0105 0105 0105)

वर्ग-2

सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री		
नर्मदा घाटी विकास	— " —		
विमानन	— " —		
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री		
आवास और पर्यावरण (आवास को छोड़कर)	— " —		
वन	वन मंत्री	20 जुलाई, 2010	13 जुलाई, 2010
		27 जुलाई, 2010	20 जुलाई, 2010
संसदीय कार्य	संसदीय कार्य मंत्री		
विधि और विधायी कार्य	— " —		
आवास और पर्यावरण (पर्यावरण को छोड़कर)	— " —		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री		
सहकारिता	— " —		

वर्ग-3

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	तकनीकी शिक्षा मंत्री		
उच्च शिक्षा	— " —		
संस्कृति	— " —		
जनसंपर्क	— " —		
धार्मिक न्यास और धर्मस्व	— " —		
किसान कल्याण तथा कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री	21 जुलाई, 2010	14 जुलाई, 2010
राजस्व	राजस्व मंत्री	28 जुलाई, 2010	20 जुलाई, 2010
पुनर्वास	— " —		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज्य मंत्री, खाद्य		
महिला एवं बाल विकास	राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास		

निर्दिष्ट (1) कि (2) प्रश्नोत्तर के विभाजन में (3) (4) (5) प्रश्न के विभाजन में (6) प्रश्न के विभाजन में (7) प्रश्न के विभाजन में (8) प्रश्न के विभाजन में (9) प्रश्न के विभाजन में (10) प्रश्न के विभाजन में

वर्ग-4

नगरीय प्रशासन एवं विकास	नगरीय प्रशासन मंत्री		
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	— " —		
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	उद्योग मंत्री		
सूचना प्रौद्योगिकी	— " —		
विज्ञान और टेक्नालॉजी	— " —		
सार्वजनिक उपक्रम	— " —	22 जुलाई, 2010	— 15 जुलाई, 2010
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	— " —	29 जुलाई, 2010	— 21 जुलाई, 2010
ग्रामोद्योग	— " —		
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री		
पर्यटन	पर्यटन मंत्री		
खेल एवं युवा कल्याण	— " —		

वर्ग-5

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य मंत्री		
आयुष	— " —		
चिकित्सा शिक्षा	— " —		
जन शिकायत निवारण	— " —		
जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी	— " —		
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण.	आदिम जाति कल्याण मंत्री	23 जुलाई, 2010	— 15 जुलाई, 2010
पशुपालन	पशुपालन मंत्री	30 जुलाई, 2010	— 24 जुलाई, 2010
मछली पालन	— " —		
पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	— " —		
अपरम्परागत ऊर्जा	— " —		
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री		
ऊर्जा	राज्य मंत्री, ऊर्जा		
खनिज साधन	— " —		

भोपाल :
दिनांक : 16 जून, 2010

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नोट.— 1. विवरण के स्तम्भ (3) व (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी.

2. प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त प्रारूप में ही भेजे.
3. प्रश्नों के उत्तर भेजने की अंतिम तिथि का कॉलम उपर्युक्त प्रश्नोत्तर के प्रारूप में दर्शित नहीं है, अतः इस विवरण के स्तम्भ-4 में दर्शाई गई उत्तर भेजने की अंतिम तिथि अनुसार ही कार्यालय समय में उत्तर अनिवार्यतः भेजे जावें.
4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे प्रश्नों को टीप : “मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ” के साथ प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा.
5. प्रश्नों के उत्तर तीन प्रतियों में तथा यदि संलग्न परिशिष्ट तीन पृष्ठों से अधिक का हो तो पाँच प्रतियों में सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर भेजे जावें.
6. किसी प्रश्न के संबंध में स्पष्टीकरण / परिवर्तन / पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए. उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचारयोग्य नहीं होंगे.

प्र-1 अ(11953)/2010

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2010

प्रतिलिपि :—

- (1) मुख्यमंत्री,
- (2) समस्त मंत्री, राज्य मंत्री,
- (3) मुख्य सचिव,
- (4) समस्त प्रमुख सचिव, तथा
- (5) शासन के समस्त विभागों,

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.